हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सेणीदान बनाम लो.सू.अ.(अति. जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 181/2017	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी सेणीदान पता मु.पो. लोटाती तहसील जैतारण जिला पाली ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.10.17. में उसके द्वारा (1) आपके कार्यालय से निरीक्षक भू–अभिलेख के पद से दिनांक 30.04.1992 को स्वैच्छिक सेवानिवृत हुआ मुझे चयनित वेतनमान दिनांक 25.01.1991 से देय है विभाग द्वारा सेवानिवृत कार्मिक को चयनित दिये जाने हेतु की गई कार्यवाही से अवगत करावे एवं पत्रों की प्रतियां उपलब्ध व सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त कलेक्टर तृतीय) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अति. कलक्टर तृतीय जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अति. कलक्टर तृतीय जोधपुर) से जरिये पत्रांक 4031 दिनांक 28.11.17 व 4043–44 दिनांक 29.11.17 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी सेणीदान सेवानिवृत भू.अ. निरीक्षक की सेवा अभिलेख इस कार्यालय एवं जिला अभिलेख शाखा में तलाश किया गया। तलाश करने के बावजूद श्री सेणीदान का सेवा अभिलेख नहीं मिल पा रहा है फिर भी इस कार्यालय द्वारा जरिये पत्रांक संस्था/2015–16/34 दिनांक 04.01.17 एवं 3792 दिनांक 09.11.17 निदेशक पेंशन विभाग जयपुर को लिखा गया कि आप द्वारा श्री सेणीदान की सेवा पुस्तिका इस कार्यालय को भिजवाई गई हो तो इन्द्राज डाक रजिस्टर की छाया प्रति या प्राप्ति रसीद हो इस कार्यालय को भिजवाये। अपने अन्य पत्रांक 4043 –44 दिनांक 29.11.17 के अनुसार अपीलार्थी को सूचना भिजवाई जा चुकी है, परन्तु सूचना विलम्ब से भिजवाई गई जो खेदजनक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण नियत अवधि में करें। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी/प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

2207–2208